

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमती रीता कटारिया व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत राबाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर जन्म तिथि 01.10.1964 को विदेश यात्रा हेतु दिनांक 23.10.2019 से 15.11.2019 तक (कुल 24 दिवस) 1038, डोमेनिक आंक सर्किल कैरी, नार्थ कैरोलिना, (यू.एस.ए.) विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

1. कार्मिक राक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे। अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य रथान पर उपरिथित प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य रथान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानवङ्गकर अनुपस्थित रहा गाना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेशयात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :—
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश प्रवास के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/माध्य/संस्था/सी-1/अंग्रेजी—संस्कृत/विदेश यात्रा—एनओसी/2019 दिनांक—07/10/2019
प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान, श्रीगंगानगर
4. प्रधानाचार्य, राबाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर
5. सिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. श्रीमती रीता कटारिया व्याख्याता. संस्कृत राबाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर